न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2020, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. दिलखुश पुत्र स्व. मुकेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. विनोद पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. विजयसिंह पुत्र कर्णसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. सुभाष पुत्र कर्णसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।
6. उपपंजीयक सिकराय जिला दौसा।
7. श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसां

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलक्टर पीठासीन अधिकारी सिकराय प्रकरण उनवानी विनोद आदि बनाम रामबाई आदि एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी दिलखुश आदि बनाम विनोद आदि टी.आई. नम्बर 13/19

उपस्थिति : श्री मिट्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं।
: श्री पदम सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 लगा. 4 उपस्थित,
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक 04.01.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहां एक प्रकरण उनवानी विनोद आदि बनाम रामबाई आदि एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी दिलखुश आदि बनाम विनोद आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 13/19 विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा दिनांक 06.03.2019 को भूमि खसरा नं.

अति॰ जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

112, 178, 285, 520, 575 कुल रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा वाके रामा पांचोली तहसील सिकराय वर्तमान खसरा नं. 152, 399, 736, 238, 809, 810, 163, 164, 165 वाके रामा पांचोली तहसील सिकराय के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी थी। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र मुन्तिकल प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से टिप्पणी प्राप्त की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र संशोधन आदेश 6 नियम 17 अ. धारा 151 जा. दी. पेश किया। नकल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 व 4 को दी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर हमने पत्रावली का एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र संशोधन आदेश 6 नियम 17 अ. धारा 151 जा. दी. का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तिकल अस्थाई निषेधाज्ञा दिलखुश बनाम विनोद प्रकरण सं. 13/2019 के विरूद्ध पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा दिनांक 9.11.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा चुका है। वाद विनोद बनाम रामबाई के विरूद्ध भी इसी मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है, किन्तु न तो वाद संख्या अंकित किया गया है न ही विचाराधीन वाद पत्र की नकल प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा अंकित टिप्पणी में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमि की टी. आई. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म हो चुका है एक ही भूमि के दो टी. आई प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानो के विपरीत पोषणीय नहीं होने के कारण इस न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण दिनांक 9.11.2020 को किया जा चुका है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के वाद विनोद बनाम रामबाई वर्ष 2002 व बत्तो बनाम विनोद वर्ष 2013 व रामबाई बनाम विनोद वर्ष 2002 से लम्बित है। Multiplicity of suits को रोकने व पुराने वादो के समयबद्ध निस्तारण किये जाने पर प्रार्थी को आपत्ति है।

प्रार्थी द्वारा न तो वाद पत्र की सत्यप्रति, ना ही आदेशिका की नकल पेश की है तथा ना ही वाद पत्र संख्या का अंकन किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए यह प्रार्थना पत्र हम पोषणीय नहीं मानते है। चूंकि मूल प्रार्थना पत्र ही जब पोषणीय नहीं है तो स्वतः ही प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 भी पोषणीय नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्रों को खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुन्तिकल व प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 अ. धारा 151 जा. दी. खारिज किया जाते है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा